सं०सं० : वि०प्र० 6ए–12/2013........

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

राँची/दिनांक........

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि० (2), दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के सेवीवर्ग को केन्द्र सरकार के कर्मियों के भाँति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से छठा पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान/वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–15 (ई०) के अनुसार राज्य कर्मियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभागीय संकल्प सं० 217/वि० दिनांक 18.01.2017 के द्वारा राज्य कर्मियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या– 1/3(1)/2008 E.II (B), दिनांक 25.10.2019 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (छठा वेतनमान) में दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर को 154% (एक सौ चौवन प्रतिशत) से बढ़ाकर 164% (एक सौ चौसठ प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र के अनुरूप राज्य कर्मियों, जिनका सप्तम वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ है। उनके मामले में अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर को निम्नवत् संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

"राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि० (2), दिनांक 28.02.2009 के द्वारा किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से वेतन का 164% (एक सौ चौसठ प्रतिशत) महँगाई भत्ता स्वीकृत किया जाय"।

4. झारखंड सेवा संहिता के परिभाषित नियम–34(ए) के अनुसार मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय है, परन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर देय नहीं होगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 525/वि० दिनांक 24.02.2020 के क्रम में दिनांक 17.03.2020 की बैठक के मद सं० 15 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० के० खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, राँची।